राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 2(18)ग्रावि/अनु–8/2015 जयपुर, दिनांक 28 MAY 2018

:: आदेश 2015/20 ::

आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की संचालित योजनाओं की सफल क्रियान्विति, गुणात्मक परिसंपति सृजन, आकर्षक आधारभूत ढांचा विकसित करने, योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति की नियमित समीक्षा करने तथा राज्य स्तर से जारी होने वाले दिशा निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिला आवंटित कर जिला प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

जिला प्रभारी आवंटित जिले के भ्रमण के समय निम्नलिखित कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चत करेंगें।

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जिला स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करेगें।
2. जिला स्तर पर कार्यों की स्वीकृति, राशि हस्तांतरण उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन आदि की विस्तृत समीक्षा की जावे।
3. जिला भ्रमण के दौरान कम से कम दो पंचायत समितियों तथा प्रत्येक पंचायत समिति की दो–दो ग्राम पंचायतों की समग्र समीक्षा। सभी योजनाओं के निर्माण कार्यों का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जावे।
4. जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों आदि की समीक्षा उपरान्त बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

- राज्य स्तरीय योजना प्रभारी जिला प्रभारियों को अपनी–अपनी योजनाओं के संबंध में जारी होने वाले आदेश, परिपत्र, दिशा निर्देश आदि की प्रति नियमित रूप से भिजवायेगें।
- अनुभाग प्रभारी प्रत्येक माह में भ्रमण के समय जिला प्रभारियों से अपेक्षित कार्यों के सम्बन्ध में सूचना/सूचना प्रपत्र आदि परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध करवाएगें, जिससे सम्बन्धित जिला प्रभारियों को अवगत कराया जा सके।
- जिला भ्रमण के पश्चात IWMS पर निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन दर्ज की जायेगी।
- जिला स्तर पर समीक्षा बैठक, क्षेत्र भ्रमण आदि समस्त व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

D:\NEW ALLOTED DISTRIC LIST.DOCX

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
8. जिला कलक्टर, समस्त राज0।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,समस्त
10. संबंधित अधिकारी.. ।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

28/05/18

(हितबल्लभ शर्मा)
परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

D:\NEW ALLOTED DISTRIC LIST.DOCX

(मो. एवं मू.) सचिव